न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021

प्रार्थी	अप्रार्थीगण
1. अजुराम पुत्र ताराराम जाति भील निवासी दुधवट तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. रामजीराम पुत्र उकाजी जाति भील निवासी मेड़ा तहसील रानीवाडा 2. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जबरराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री रमेशकुमार गर्ग।
3. अप्रार्थी संख्या 2 राजपेरोकार उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 10.08.2021

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा मेडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1072/668 रकबा 0.9566 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थी अजुराम पुत्र ताराराम भील साकिन दुधवट खातेदार के नाम दर्ज हैं। प्रार्थी की उक्त आराजी के दक्षिणी व पश्चिम में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1074/668 रकबा 0.9567 हेक्टेयर आई हुई हैं। प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1072/668 व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1074/668 की सीमा को लेकर विवाद है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने सीमा को खुर्द बूर्द किया है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार साहब रानीवाडा से सीमाकंन करवाने हेतु आदेश पारीत करवाया था तथा तहसीलदार साहब के आदेश क्रमांक 84 दिनांक 05.02.2021 की पालना में हल्का पटवारी मेड़ा द्वारा दिनांक 06.02.2021 को प्रार्थी की आराजी का सीमाकंन किया परन्तु मौके पर सीमा विवाद होने से सीमाकंन नही हो सका। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी मौजा मेड़ा के नवीन खसरा नम्बर 1072/668 रकबा 0.9566 हैक्टेयर की पैमाईश करवा कर प्रार्थी की खातेदारी आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 1074/668 के बीच की सीमा पर सीमाकंन कर पत्थर गड्ढी करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।
2. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि मौजा मेड़ा तहसील रानीवाडा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1072/668 रकबा 0.9566 हेक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 1074/668 रकबा 0.9567 हेक्टेयर आराजी की पैमाईश करवा कर उक्त आराजी की सीमा पर पत्थर गडढी करवा कर स्थाई सीमा चिन्ह कायम करवाये जाने के आदेश फरमावें।
3. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थीगण की ओर से बाद तामील नोटिस प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश नहीं कर [illegible] बहस की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

4. उभयपक्ष अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 2 की बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में बताया कि उक्त विवादीत आराजी के बंटवाडा बाबत अपील श्रीमान जिला कलेक्टर न्यायालय में होने से पत्थर गड्ढी नहीं करने का निवेदन किया। तथा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा बहस में बताया कि उक्त विवादीत आराजी के तहसील कार्यालय के पत्रांक 84 दिनांक 05.02.2021 की पालना में दिनांक 06.02.2021 को सीमाकंन करवाया गया परन्तु मौके पर जो निशानात् करवाये गये उनसे पडौसी खातेदारों ने सहमति प्रकट नही की मौके पर जो निशानात् करवाये गये परन्तु पडौसी खातेदारों ने सहमति नही प्रकट की तथा मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने से सीमाकंन पूरा नही हो सका। इस कारण प्रार्थी विवाद की स्थिति होने पर पत्थर गड्ढी करवाना चाहता है।

5. पत्रावली मे पेश प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 06.02.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में भी सीमाविवाद होना स्वीकर किया है। व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी सीमाविवाद होना प्रतित होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त विवादीत आराजी पर श्रीमान जिला कलेक्टर जालोर में अपील के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 1072/668 व 1074/668 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा मेड़ा पटवारी मण्डल मेड़ा के नवीन खसरा नम्बर 1072/668 व 1074/668 रकबा क्रमश 0.9566 व 0.9567 हैक्टेयर के आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.09.03 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर